UPCH010009712018

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–01, चित्रकूट।

पीठासीन अधिकारी- (Anurag Kureel), (उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP 1521

सत्र परीक्षण संख्या–74/2018

सरकार/शिवदास गुप्ता
धारा–138(बी) भा0 विद्युत अधिनियम
थाना–कर्वी। जनपद–चित्रकूट।
अ0सं0–228/2016

06.03.2026

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में संलग्न अभियुक्त **शिवदास गुप्ता पुत्र बैजनाथ, निवासी गोकुलपुरी, थाना कर्वी, जनपद चित्रकूट** के गिरफ्तारी अधिपत्र कागज संख्या 19ख की पुस्त पर अंकित उक्त अभियुक्त की फौत सम्बन्धी आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण से सम्बन्धित अभियुक्त शिवदास गुप्ता पुत्र बैजनाथ की मृत्यु हो चुकी है। पत्रावली में संलग्न सभासद, वार्ड नम्बर 24 गोकुलपुरी द्वारा जारी प्रमाण पत्र कागज संख्या 19ख/2 में अभियुक्त शिवदास गुप्ता की मृत्यु लगभग 06 माह पूर्व हो चुकी होना उल्लिखित है।

उक्त के सम्बन्ध में न्यायालय के समक्ष साक्षी सी0डब्लू0–01 उप निरीक्षक श्यामदेव सिंह, हाल तैनाती थाना पहाड़ी, जनपद चित्रकूट को परीक्षित कराया गया है। साक्षी सी0डब्लू0–01 ने अपने बयान में कथन किया है कि न्यायालय से अभियुक्त शिवदास गुप्ता पुत्र बैजनाथ, निवासी गोकुलपुरी, थाना कोतवाली कर्वी, जनपद चित्रकूट का गिरफ्तारी वारण्ट प्राप्त होनें पर उसके तामीला हेतु अभियुक्त के मोहल्ले में जाकर सभासद से जानकारी प्राप्त की गयी, तो बताया गया कि अभियुक्त उपरोक्त की मृत्यु लगभग 06 माह पूर्व हो चुकी है तथा जिसके सम्बन्ध में सभासद द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त कराया गया। साक्षी ने पत्रावली

Digitally signed by ANURAG KUREEL
Date: 2026.03.06 16:27:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

में संलग्न कागज संख्या 19ख गिरफ्तारी अधिपत्र के पुस्त पर अंकित आख्या को स्वयं के हस्तलेख व हस्ताक्षर में होनें की पुष्टि करते हुये इसे प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया है तथा सभासद द्वारा जारी प्रमाण पत्र कागज संख्या 19ख/2 को प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया है। अतः यह पाया जाता है कि प्रकरण से सम्बन्धित अभियुक्त शिवदास गुप्ता पुत्र बैजनाथ की मृत्यु हो चुकी है। अतएव अभियुक्त शिवदास गुप्ता पुत्र बैजनाथ की मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप उसके विरूद्ध प्रस्तुत मामले की कार्यवाही उपशमित किया जाना न्यायोचित है।

तद्नुसार प्रकरण से सम्बन्धित अभियुक्त **शिवदास गुप्ता पुत्र बैजनाथ, निवासी गोकुलपुरी, थाना कर्वी, जनपद चित्रकूट** की मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप उसके विरूद्ध प्रकरण की कार्यवाही **उपशमित** की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–01, चित्रकूट।
06-03-2026